कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024 –25/6368 दिनांक 24-6-24

निमित्तः– संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :–Prop[osal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Enginer,Water Resource Division III ,Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan State-reg.

(Proposal no :- FP/RJ/IRRIG/24263/2017)

संदर्भः– अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 5130–32 दिनांक 08.03.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि Online EDS Date 08.03.2023 से चाही गई सूचना संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS Date 08.03.2023	Reply
1.	यूजर एजेन्सी द्वारा R&R Plan की अनुमोदित प्रति ऑनलाईन पर सही अपलोड नही की गई है एव उक्त R&R plan सक्षम स्तर से अनुमोदित कर पत्र भी संलग्न नही किया गया है CAT PLAN के संबंध में शपथ पत्र एव एक प्रति संलग्न की गई है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक कोटा/ उप वन संरक्षक,बारा की टिप्पणी प्राप्त नही है।	यूजर एजेन्सी द्वारा R&R Plan की अनुमोदित प्रति ऑनलाईन सही कर अपलोड कर दी गई है CAT PLAN के संबंध में यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 2929 दिनांक 15.03.2023 से अवगत कराया गया है कि संशोधन के उपरान्त अनुमोदित CAT PLAN कि प्रति संलग्न कर दी जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न है।
2.	उप वन संरक्षक,बारा द्वारा 35 है0 गैर वन भूमि में अतिकमण होना दृश्यमान है जिसमें यूजर एजेन्सी द्वारा अतिकमण हटाया जावेगा अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव के पार्ट II में स्थल उपयुक्तता प्रमाण – पत्र (102.08 तिखोद,117 है0 पाटुन्दा एव 66.72 है0 पाटुन्दा) में गैर वन भूमि अतिकमण से मुक्त है। प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि पर अतिकमण है तो अतिकमण हटाया जाकर ही गैर वन भूमि लिया जाना उचित होगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा भूमि को अतिकमण मुक्त कर वन विभाग को संभलाने संबंधी अंडरटैकिंग संलग्न है।

Scanned with CamScanner

3	मक निस्तारण योजना के संबध में यूजर एजेन्सी द्वारा मक को प्रयोग मे लाये जाने एवं बकाया मक वन क्षेत्र के बाहर निस्तारण करने हेतु लिखा गया है योजना में यह स्पष्ट नही है कि अनुमानित कितना मक सृजित होगा एव किस प्रकार उसका प्रयोग किया जावेगा इसके संबध में कोई योजना /वचनबद्धता संलग्न नही दी गई है।	यूजर एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल योजना एवं अंडरटैकिंग संलग्न है।
4	यूजर एजेन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण में अपेक्षित संशोधन नही किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण में संशोधन कर संलग्न कर दिया गया है।
5	उप वन संरक्षक,बारा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 286.47 है0 में से मात्र 95 है0 में ही वृक्षारोपण कराया जावेगा बाकि परिभ्रांषित वन भूमि में करवाया जावेगा। जबकि प्रस्ताव के साथ संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में साईट वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त बताई गई है। जो विरोधाभाषी है। भारत सरकार के परिपत्र अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में लगने वाले पौधौ के अतिरिक्त अवशेष पौधौ को ही समीपस्थ परिभ्रांषित वन भूमि में लगाये जा सकते है। प्रकरण में प्राप्त सम्पूर्ण NFL का उपचार किया जाना आवश्यक है।	इस क्षेत्र में प्राप्त प्रत्यावर्तित भूमि **कुल 242.5 है0** है परन्तु दो तिहाई भाग पर जुलिफ्लोरा होने से वृक्षारोपण कराया जाना संभव नही है। 95.57 है0 भूमि पर ही वृक्षारोपण कराया जाना संभव है परन्तु संम्पूर्ण प्राप्त गैर वन भूमि का उपचार कराया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि पर (95.57 x @1100 = 105127) पौधो का वृक्षारोपण NFL माडल अनुसार करवाया जायेगा। एव अवशेष पौधौ का वृक्षारोपण परिभ्राषित वन भूमि पर DFL माडल अनुसार करवाया जायेगा।
6	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट–1 के बिन्दु संख्या L में NFL (तिखोद,पाटुन्दा–242.5 है0,नचनाखेडा 26.336है0,इकलेरा सागर 17.66है0) अपलोड की गई है किन्तु तिखोद व पाटुन्दा 242.5 है0 की के.एम.एल फाईल अपलोड नही की गई है एवं इनके स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न नही है।	यूजर एजेन्सी द्वारा KML FILE अपलोड कर दी गई है।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां
दिनांक

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2.अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड बारां।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner